6/5/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उप./ ... हमने उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस सुनी। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि प्रार्थी द्वारा खसरा नं. हाल बंदोबस्ती 57 रकबा 0.28, 58 रकबा 0.39, 63 रकबा 0.08, 64/1106 रकबा 0.12, 65 रकबा 0.46, 66 रकबा 0.37, 68 रकबा 0.45, 69 रकबा 0.63 किता 8 कुल रकबा 2.78 हैक्टेयर हिस्सा 1/72 वाके ग्राम गगवाना तहसील नदबई पर प्रार्थी का नाम गलत रूप से इमरत पुत्र प्रभू जाति जाटव नि. गगवाना दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम अमृत सिंह पुत्र प्रभू सिंह जाति जाटव नि. गगवाना दर्ज होना चाहिए। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम अमृत सिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी का सही नाम इमरत सिंह के स्थान पर शुद्ध कर अमृत सिंह दर्ज करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगणों की ओर से राज. सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी का नाम इमरत सिंह न होकर अमृत सिंह पुत्र प्रभू बताया गया है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं पेनकार्ड में प्रार्थी का नाम अमृतसिंह पुत्र प्रभू जाति जाटव ग्राम गगवाना दर्ज है।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना। उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थी का नाम इमरत न होकर अमृत सिंह पुत्र प्रभू है। अतः प्रार्थी का नाम इमरत के स्थान पर अमृत सिंह पुत्र प्रभू जाति जाटव नि. गगवाना किया जाना उचित है।

आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 136 LR Act के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम इमरत के स्थान पर अमृत सिंह ~~जाति~~ पुत्र श्री प्रभू सिंह जाति जाटव निवासी गगवाना किया जाता है। तहसीलदार नदबई आदेशानुसार रिकॉर्ड में अंकन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा

व हुक्म

Scanned with CamScanner